

①

संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अनुमति व्यापार 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी

ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 — व्यापार करने भारत

1765 कंपनी को दीवानी अधिकार मिला → राजस्व अधिकार

संविधान का ऐतिहासिक विकास

Mr. Amit CSE Notes

कंपनी का शासन

1773-1858



1. 1773 रेगुलेशन अधिनियम
2. 1781 का संशोधन अधिनियम
3. 1784 प्रिंस इंडिया एक्ट
4. 1793 चार्टर अधिनियम
5. 1813 चार्टर अधिनियम
6. 1833 चार्टर अधिनियम
7. 1853 चार्टर अधिनियम

राज का शासन

1858-1947



1. 1858 भारत परिषद् अधिनियम
2. 1861 भारत परिषद् अधिनियम
3. 1892 भारत परिषद् अधिनियम
4. 1909 भारत परिषद् अधिनियम
5. 1919 भारत सरकार अधिनियम
6. 1935 भारत सरकार अधिनियम
7. 1946 कैबिनेट मिशन
8. 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

* 1858 Act → भारत का शासन ब्रिटिश crown के पास

②

* 26 January 1950 संविधान लागू

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

- कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना
- कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित
- पहली बार — कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य मान्यता
- केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई
- बंगाल गवर्नर → बंगाल का गवर्नर जनरल → 4 सदस्य इसकी सहायता
- कलकत्ता उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना 1774
- लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहला मद्रास और बंबई इसके अचीन
- सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश → अन्य दो सदस्य
- कंपनी — कर्मचारियों — उपहार अथवा रिश्वत पर प्रतिबंध
- नियंत्रण → BOARD OF DIRECTORS (निदेश मंडल) जानकारी आवश्यक
- राजस्व नागरिक सैन्य

1781 का संशोधन अधिनियम

- 1773 की कमियों को दूर करना
- Act of Settlement → "बंदोबस्त कानून"

③

→ कलकत्ता न्यायालय

क्षेत्राधिकार से बाहर

- गवर्नर जनरल
- कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी
- राजस्व अधिकार

क्षेत्राधिकार के अंदर

→ कलकत्ता के निवासी

हिन्दू

मुस्लीम

निजी कानूनों द्वारा न्याय

अपील शक्ति गवर्नर जनरल के पास था

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

ब्रिटिश P.M विलियम पिट के नाम पर

→ मुख्य कार्य → राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यें
अलग

→ ड्यूच-शासन (Dyarchy) व्यवस्था शुरुआत

नोट → 1853 के चार्टर एक्ट

ड्यूच शासन

निदेशक मंडल

↓
व्यापारिक कार्यें तक सीमित

नियंत्रण बोर्ड

↓
राजनीतिक मामलों प्रबंधन

विधायी कार्य

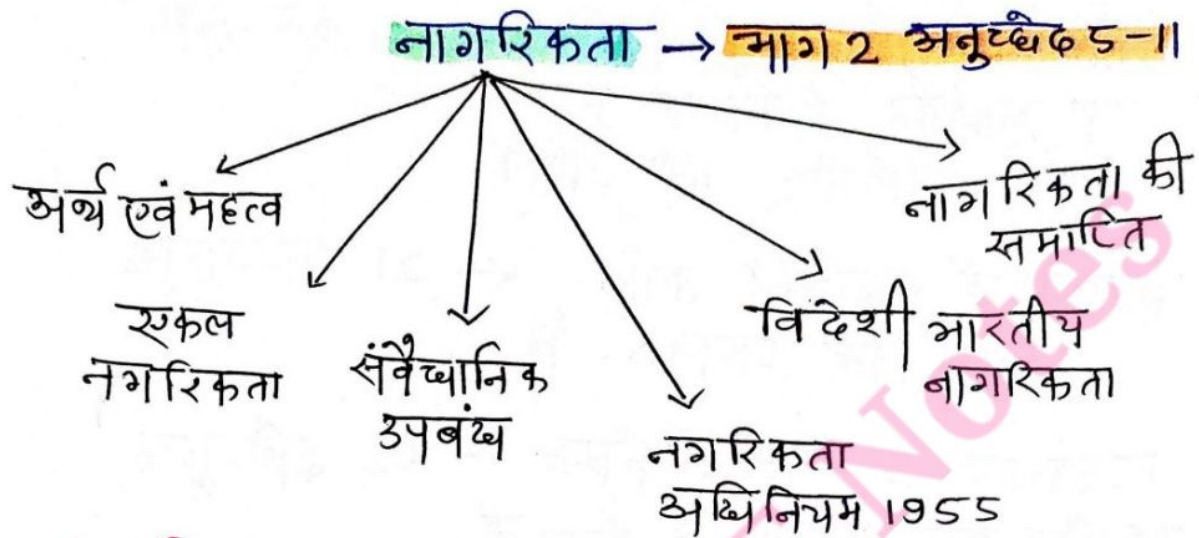
प्रशासनिक कार्य

अलग किया गया था

→ ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र → ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश

→ कम्पनी पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश शासन का हो गया

राजव्यवस्था UPSC CH-7 नागरिकता



नागरिकता → किसी राजनैतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता

भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य होगा

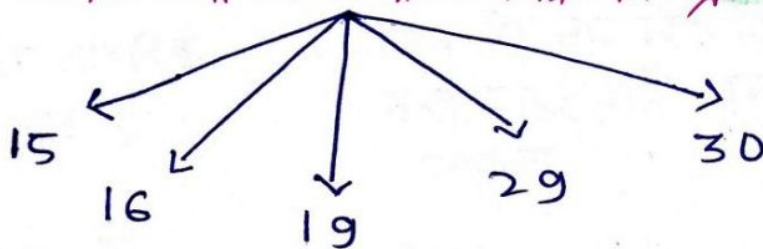
- नागरिक
- विदेशी

शत्रु विदेशी मित्र विदेशी
(युद्ध)

* अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत

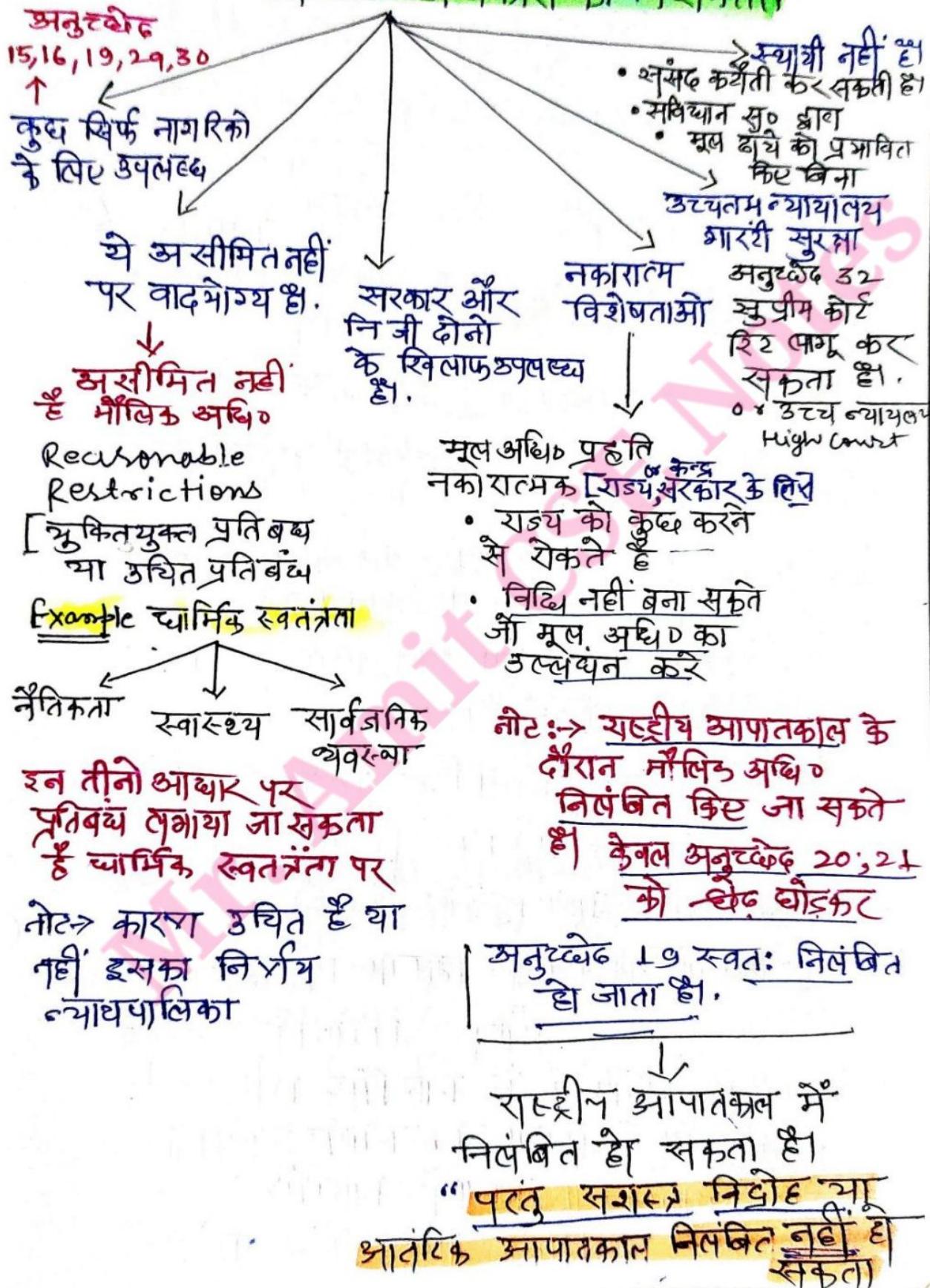
गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं होगा शत्रु विदेशी

Note → केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार अनुच्छेद



- जीवन की सुरक्षा सभी नागरिकों [अनुच्छेद 21] को प्राप्त है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ



* राज्य की परिभाषा

(5)

मौलिक अधिक 12-35 तक

इसमें अनुच्छेद 12 भाग (3)



राज्य state व्याख्या करता है।

• केन्द्रीय सरकार [कार्यकारी व विधायी अंग]

राज्य स्तर पर [विधानमंडल]

स्थानीय स्तर पर < > पंचायत ग्रामा बोर्ड
नगरपालिका नगर

Supreme Court कहता है -> कोई नीजी इकाई
जो राज्य के सार्वजनिक काम कर रही है
इसे भी राज्य की श्रेणी में
Court किया जाएगा।

न एवं अन्य वैधानिक एवं गैर संवैधानिक
प्राधिकरण

* जो भी राज्य में शामिल हैं इसलिये
ये उनके कार्यों को चुनौती दी जा सकती
अगर भी अगर मुख्य अधिकारों का उपलब्ध हुआ
नहीं होता चाहिए।

* शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 - 24

अनुच्छेद 24 →

मानव तस्करी और बाल श्रम पर प्रतिबंध

- इस तरह के हथ्यों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लागू किया गया।

अनुच्छेद 24 →

यह अनुच्छेद किसी फैब्री खान अववा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या शलवे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है।

- बाल श्रम अधिनियम 1988 इस दिशा में सार्वधिक महत्वपूर्ण कानून है।

बाल श्रम निषेध एवं रोकथाम संशोधन अधिनियम

- 2016 को लागू किया गया।
- यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के कार्यों पर लगाने पर प्रतिबंध करता है।

Article 23

- ↓
- मानव क्रय-विक्रय
 - बंधुआ मजदूरी
 - मान दुर्व्यापार - वैश्यावृत्ति
 - प्रतिबंध अनायादं डंतीय है।

Article 24

↓
बाल श्रम प्रतिबंध

चर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
[अनुच्छेद - 25-28]

अतः कारण और चर्म को अबाध रूप से कमाने
आवरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता

- * अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को
अतः कारण की स्वतंत्रता, चर्म को
अबाध रूप से कमाने, आवरण करने
और प्रचार करने का समान अधिकार
होगा। नोट - यह अधिकार नागरिक
के एवं और नागरिक दोनों
के लिए है।

* अनुच्छेद 25 → केवल चार्मिक विश्वास को ही
नहीं बल्कि चार्मिक आवरण को
भी समाहित करता है।

सीमाएं → भार्वजनिक व्यवस्था
नैतिक और स्वास्थ्य

42 वाँ संविधान संशोधन, 1976

(9)

इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग IV में कुछ बदलाव किए गए

अनुच्छेद 39A गरीबों को निशुल्क कानूनी साहायता प्रदान करना

अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना

44 वाँ संविधान संशोधन, 1978

इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया जो घोषित करता है कि

"राज्य विशेष रूप से आद्य में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।

* निदेशक तत्वों के पिछे संस्कृति

(10)

→ सर्वैधानिक सलाहकार B.N Row
डाग कहा गया कि
व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणियों
में रखा जाय

→ न्यायोचित

→ और न्यायोचित हो

अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि
"ये तत्व देश के शासन में मूलभूत
हैं अतः राज्य का फार्तव्य होगा कि इन
तत्व का विधि में प्रयोग करे।

यह राज्य पर नैतिक दायित्व आरोपित करता है,
परंतु इसके पिछे वास्तविक शक्ति राजनीति है
अर्थात् जनमत।

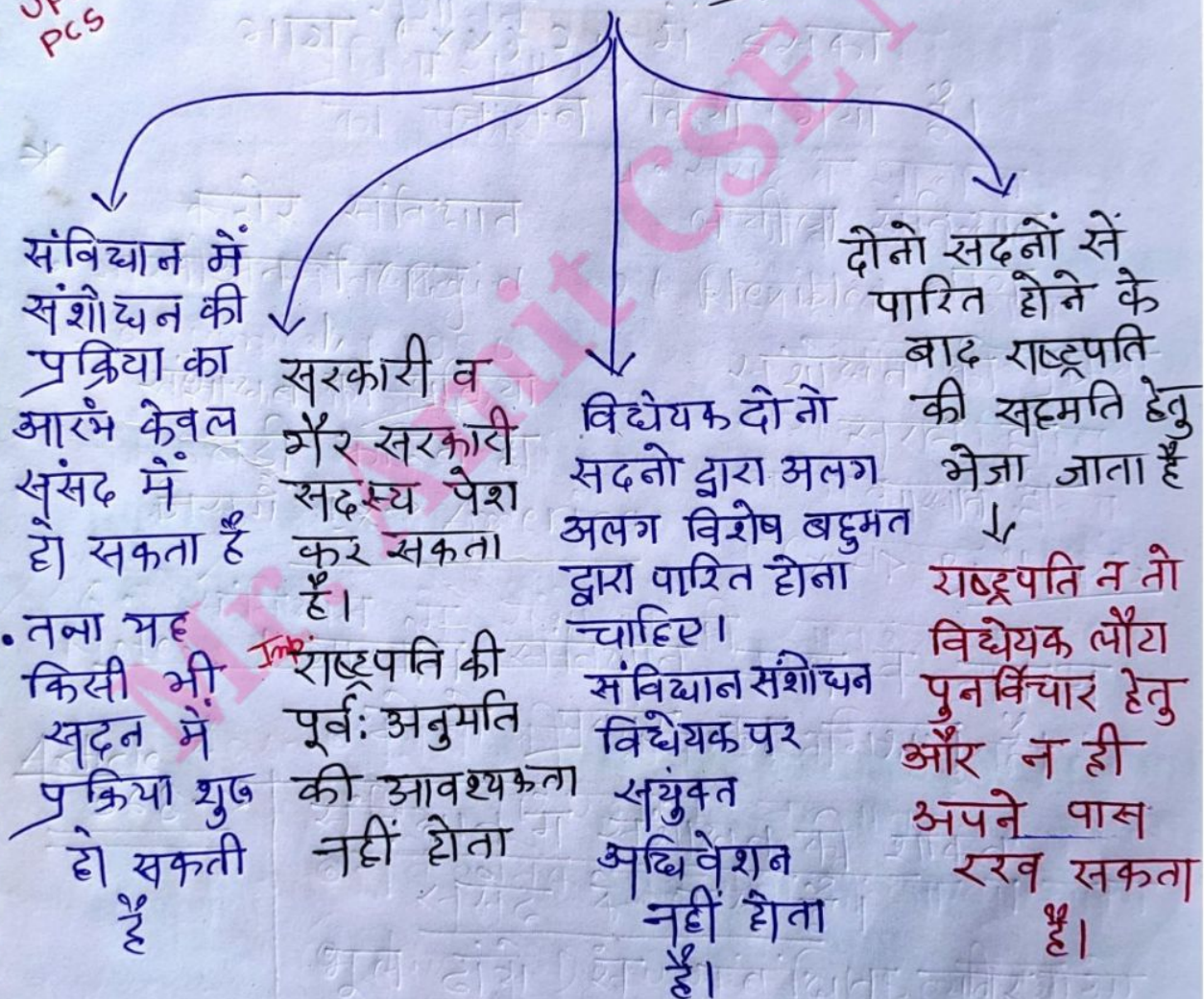
अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा कृष्णा लोगो के
लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान
के भाग (4) में वर्णित उपबच्चों की
अवहेलना नहीं करेगा।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर → संविधान सभा में कहा था
कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए
नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर
सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो
निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर देना होगा

✓ अनुच्छेद 368 संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को हटा दे नहीं सकती है।

V.V. Imp.
UPSC
PCS

संविधान संशोधन की प्रक्रिया



नोट → संसद द्वारा संविधान संशोधन शुरू किसी भी सदन में हो सकता है।
 ↳ राज्यसभा
 ↳ लोकसभा

Imp PYQ UPSC
 मर्ना संविधान संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर - कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार

संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार

विशेष बहुमत + कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के अनुसार

यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है।

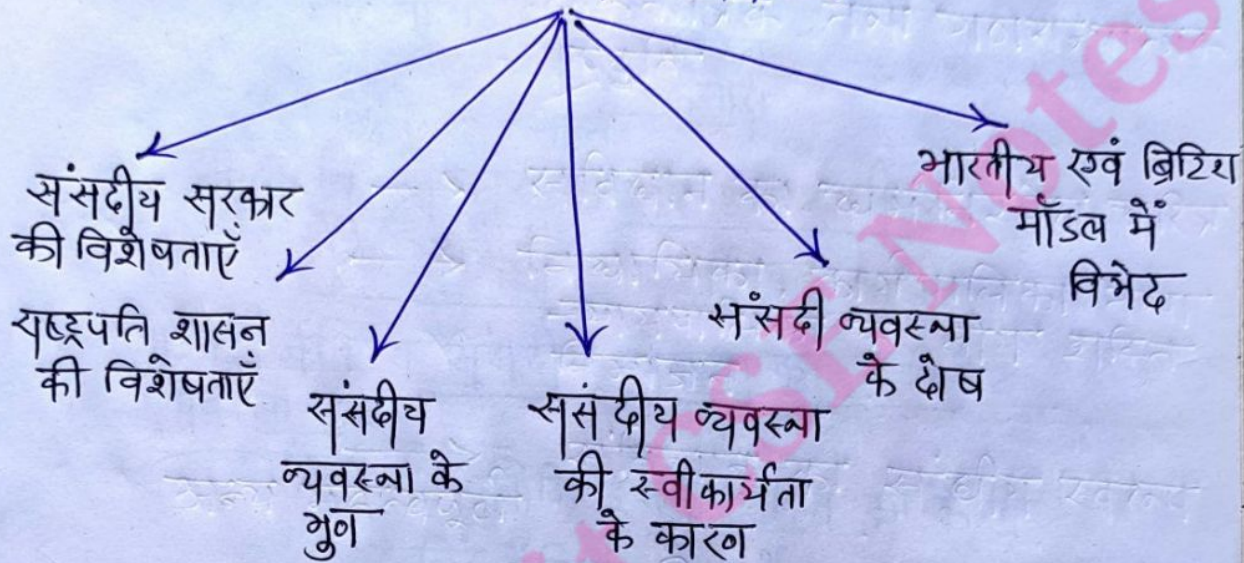
* 24 वा संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति के लिए संसद सहमति के लिए बाध्य बनाया गया

संसद के साधारण बहुमत में

(5)

- 1 → नए राज्यों का प्रवेश
- 2 → नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन
- 3 → राज्य विधानपरिषद् का निर्माण या उसकी समाप्ति
- 4 → दूसरी अनुसूची → राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते विशेषाधिकार आदि
- 5 → संसद में गणपूर्ति अथवा कौरम कौरम का अर्थ वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ हो जाए
- 6 → संसद सदस्यों का वेतन एवं भत्ते
- 7 → संसद में प्रक्रिया चयन
- 8 → संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों की विशेषाधिकार।
- 9 → संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग
- 10 → उच्चतम न्यायालयों में भवर न्यायाधीशों की संख्या
- 11 → उच्चतम न्यायालय के न्यायक्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना
- 12 → राज्यभाषा का प्रयोग
- 13 → नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति
- 14 → संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए
- 15 → निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्विभाजन
- 16 → केन्द्रशासित प्रदेश
- 17 → 5वीं अनुसूचित क्षेत्र एवं 5A क्षेत्र
- 18 → 6वीं अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन

संसदीय व्यवस्था



* भारत संसदीय व्यवस्था

- भारत केन्द्र राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है।

संसदीय व्यवस्था { केन्द्र अनुच्छेद 74-75
→ राज्य में अनुच्छेद 163-164

- ① सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

दूसरी ओर, सरकार की राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।

Imp. for main
PRE

10

भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद

- ①
 - ब्रिटिश राजशाही
 - भारत में गणतंत्र पद्धति
- ②. भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रति होता है और निर्वहित होता है
 - जबकि ब्रिटेन राज्य मुखिया राज अनुवांशिक
- ③ ब्रिटिश व्यवस्था में संसद की संप्रभुता जबकि भारत में लिखित संविधान की सम्प्रभुता
- ④
 - ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन House of Commons का सदस्य अनिवार्य
 - जबकि भारत में प्रधानमंत्री सदन संसद के दोनों में से किसी एक होना
- ⑤ ब्रिटेन में संसद सदस्य वॉटर मंत्री नियुक्त जबकि भारत में व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है तो उसे 6 माह में तक मंत्री नियुक्त रह सकता है।
- ⑥ ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्य सही कार्य में प्रति दस्तावेज करना जल्दी नहीं
- ⑦. ब्रिटेन में छाया कैबिनेट → निपसी कल वैचार किया ताकि खला वाले के भावि भाग लय कार्य है चार किया जा सके।
 - जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

राजव्यवस्था

Federal System

Mr. Amit CSE

* भारत ने संघीय व्यवस्था सरकार अपनाया

राजनीति शास्त्रीयों द्वारा राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति आधार पर दो भागों में बांटा।

एकल व्यवस्था

- एकल या एकात्मक समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केन्द्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विहित होती हैं।

Example देश



- ब्रिटेन
- फ्रांस
- जापान
- चीन
- इटली
- नार्वे
- स्वीडन
- आदि में एकात्मक सरकार है।

संघीय व्यवस्था

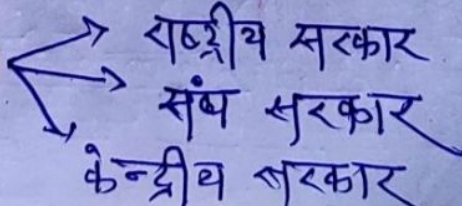
संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केन्द्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं।

Example देश



- अमेरिका
- स्विट्जरलैंड
- ऑस्ट्रेलिया
- कनाडा
- रूस
- ब्राजील
- अर्जेंटीना

- संघीय मॉडल जाना जाता है।



- भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है।

④

Imp.
for Mains
UPSC/PCS

भारत की संघीय व्यवस्था
कनाडाई व्यवस्था में
इन आधारों पर
समानता

है

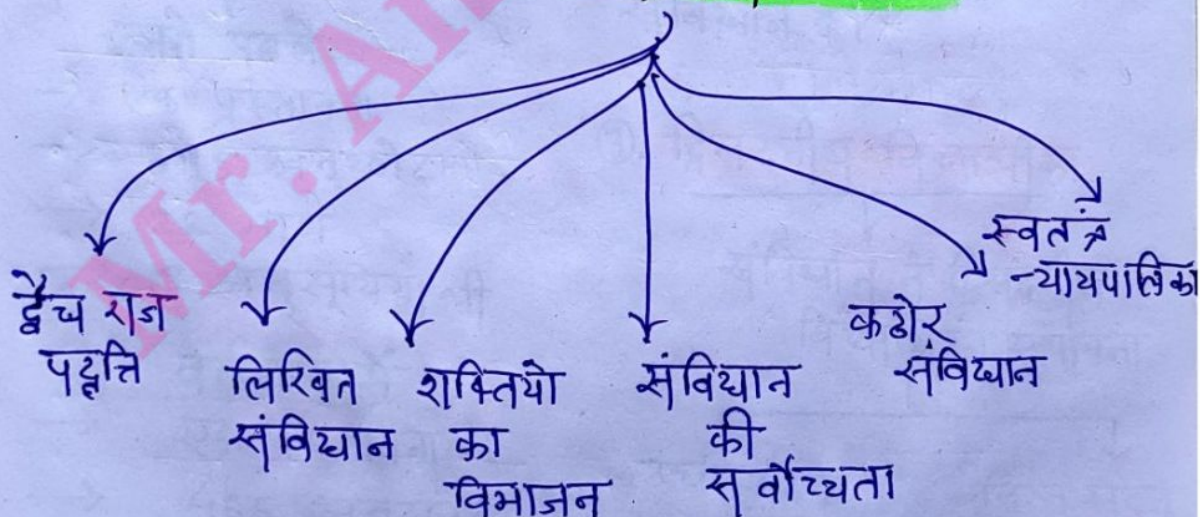
इसका निर्माण
अर्थात्
विरासति
हीने के
तरीके

संघ शब्द का
प्रमुखता से
प्रयोग

इसकी केंद्रीकरण की
प्रवृत्ति
राज्य की तुलना में
केन्द्र को ज्यादा
शक्ति

V.V.I

संविधान की संघीय व्यवस्था



1. **द्वैच राज पद्धति** → संविधान में संघ स्तर पर केन्द्र एवं राज्य पद्धति की उपनामा

(5)

भारत में द्वैच शासन पद्धति में

केंद्र सरकार
के मामले
उदाहरण

- रक्षा
- विदेश
- मुद्रा
- संचार
- इत्यादि

राज्य सरकार
के मामले
उदाहरण

- क्षेत्रीय
- स्थानीय
- सार्वजनिक व्यवस्था
- कृषि
- स्वास्थ्य
- स्थानीय प्रशासन

Imp.

② लिखित संविधान

इसमें पहले

- एक प्रस्तावना
- 395 अनुच्छेद
- 22 भाग
- 8 अनुसूधियाँ थी

वर्तमान में

- एक प्रस्तावना
- 465 अनुच्छेद
- 25 भाग
- 12 अनुसूधियाँ हैं

- भारत का संविधान लिखित
- विश्व में सबसे विस्तृत संविधान है।

③ द्विसदनीय विधायिका

संविधान ने द्विसदनीय
विधायिका स्थापना

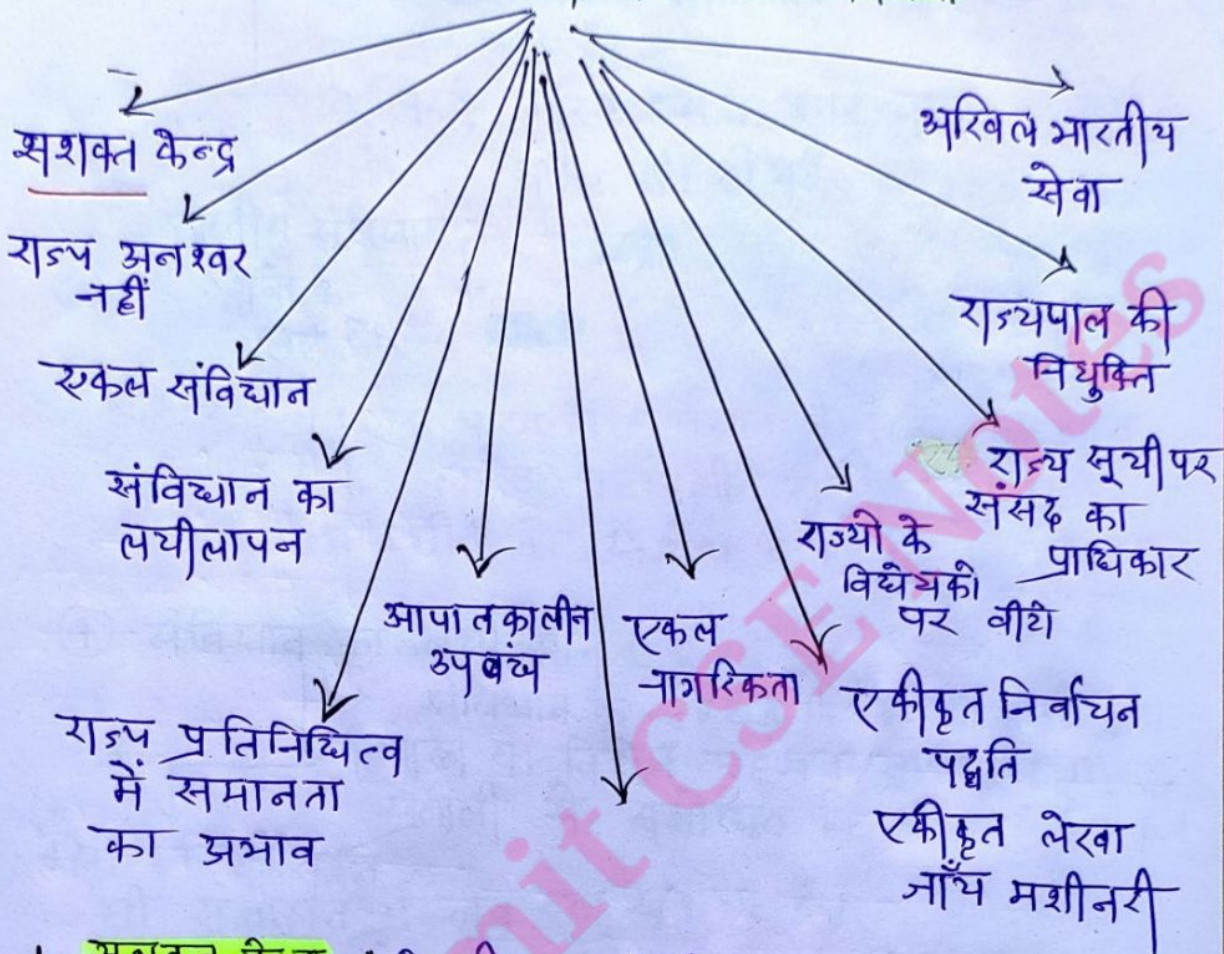
उच्च सदन
→ राज्य सभा

भारत राज्यों का
प्रतिनिधित्व

निम्न सदन
→ लोक सभा

भारत लोगों का
प्रतिनिधित्व

संविधान की एकात्मक व्यवस्था



1. सशक्त केन्द्र → केन्द्रीय सूची में ज्यादा विषय
 → अवशोषीय शक्तों में भी केन्द्र प्रमुख है।
 → 71 की अनुसूची में केन्द्र को ऊपर रखा गया है।

इस तरह संविधान केन्द्र को सशक्त बनाता है।

जिसका नाश न हो

2. राज्य अनश्वर नहीं

- अन्ध संधी के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता प्रचीकार नहीं
- संसद एकतरफा कार्यवाही द्वारा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या राज्यों के नाम परिवर्तित कर सकती है।
- अर्थात् इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है न की विशेष बहुमत

अनुच्छेद 256 →

①

Jump
अनुच्छेद

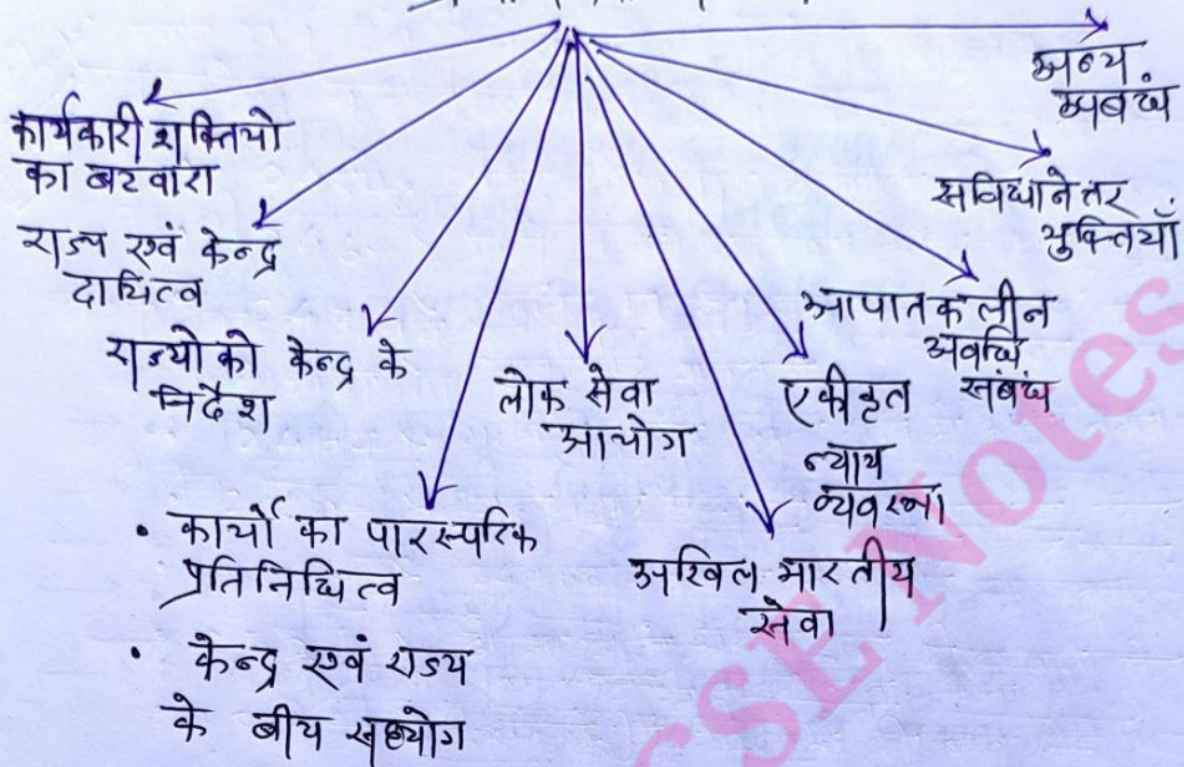
अनुच्छेद महत्वपूर्ण

अन्य विधानमंडल

- 245 → संसद और राज्य विधायिका द्वारा कानून विस्तार
- 246 → किस विषय पर निचय बनेगा अन्य विषय
- 247 → अनिश्चित न्यायालय स्थापना संसद का अधिकार
- 248 → अवशिष्ट शक्तियाँ
- 249 → राष्ट्रहित संसद राज्य सूचि में कानून बनाने शक्ति
- 250 → राज्य सूचि विषय पर आपातकाल में संसद कानून बनाने शक्ति
- 251 → 249 एवं 250 के बीच फोड़ी असंगतता है तो मचा होगा
- 252 → दो या दो से अधिक राज्य की सहमति से संसद कानून बना सकता है।
- 253 → अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात राज्य पर संसद निचय बना सकती है।
- 254 → संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति
- 255 → अनुशासकों तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप देखने की जरूरत।

नोट → अन्य विषय से List बना ले लिया है।

प्रशासनिक सम्बन्ध



* कार्यकारी शक्ति

- संसद $\Rightarrow$ पूरे भारत में लागू
- राज्य $\Rightarrow$ केवल राज्य तक सीमित

* राज्य और केन्द्र के दायित्व

- संविधान राज्य की कार्यकारी शक्ति पर प्रतिबंध
- केन्द्र को असीमित अधिकार हैं।
- राज्य = केन्द्र सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा।
- केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति बाधित न हो

विशेष दायित्व

नोट $\rightarrow$ अनुच्छेद 365 के अंतर्गत अगर राज्य केन्द्र के नियम लागू नहीं करेगा तो वहाँ राष्ट्रपति अपना शासन चला सकता है।

V. Topic for Mains: Writing

IAS, IPS, IFS
अखिल भारतीय
सेवाओं का
प्रबन्धन

राज्य हेतु वित्तीय
आवश्यकताओं
का होना

राज्यपाल की
नियुक्ति और
वर्षावृत्ति

(17)

मुख्यमंत्री
के विरुद्ध
राज्य आयोग
नियुक्त

केंद्र राज्य संबंधों
में तनाव

केंद्रीय एजेंसियों
के काम करने
का ढंग

केंद्र व राज्यों
के मध्य वित्तीय
हिस्सेदारी

राज्य सूची में
केंद्र का अधिकार

पार्टी हित में
राष्ट्रपति शासन
राज्यपाल का पदपात
दलगत रखा

* प्रथम प्रशासनिक सुधार

वित्त निर्भरता
को कम करना

अनुच्छेद

263 → अंतर्राज्यीय
परिषद् का गठन

1969 Report (22 सिफारिशें)

राज्यपाल के पद पर किसी
ऐसे व्यक्ति को

नियुक्त किया जाना
चाहिए जो किसी

दल का विशेष न हो

* राजमन्त्र समिति → अखिल भारतीय सेवा समाप्त करने
की मांग

नोट इस
समिति को
केंद्र ने
स्वायत्त
कर दिला

- 1969 में
- केंद्र एवं राज्यों के संबंधों से
- 356 तथा 357 धारा की मांग
- राज्य को स्वायत्तता

राज्यपाल नियुक्ति अधिनियम में राज्य को शामिल

किया जाना